दहेज़ का मुतालबा शरीअत की नज़र में

समाज में दहेज़ के बढते चलन और दहेज़ की मांग करने जैसी बुराईयों के सम्बन्ध में लोगों को शरीअत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बताने के लिए 13वें फ़िक्ही सेमिनार में यह प्रस्ताव पारित किया गयाः

इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी का यह सेमिनार इस प्रस्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है कि शादी के मामले में लडकों की ख़रीद व फ़रोख़्त का चलन बढता जा रहा है। कभी लडकों की अपनी तरफ़ से, कभी उनके घर वालों की तरफ़ से और कभी खुद लडकी वालों की तरफ़ से लडके की हैसियत निर्धारित की जाती है, और उसके अनुसार दहेज़ या रक़म का भाव ताव किया जाता है, जबकि शादी के सिलसिले में लडकी वालों से कुछ प्रचलित दहेज़ के नाम पर हो, शरीअत की तरफ़ से जायज़ नहीं है। शरीअत ने क़ुरआनी निर्देश अनुसार मर्दों पर निकाह में माल ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी डाली है। लेकिन लोगों ने इस मामले को उलट दिया है, और शादी के लिए लडकी या उसके घर वालों को माल ख़र्च करना पडता है। कहीं लोग मांग कर लेते हैं, कहीं रिवाज और रीति के नाम पर दहेज़ और पैसा लिया और दिया जाता है। लेकिन यह लेन देन चाहे मांगने पर हो या पेशकश की जाए, शरीअत की नज़र में जायज़ नहीं है।

यह सेमिनार मुसलमानों से अपील करता है कि वह मुस्लिम समाज को रसूल सल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के अनुसार ढालने की कोशिश करें। शादियां सादगी के साथ करें, जिनमें न तो दबाव के तहत न प्रचलन और अपनी इच्छा की वजह से .ज्यादा पैसा ख़र्च हो।

☆☆☆